FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मीना बानो वगै0 बनाम अब्दुल सत्तार वगै0

2024/952

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 **मु0नं0** 591 **सन् 2024 जीसीएमएस नं.**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-11-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट** हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 448, 449, 516 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 राजस्व ग्राम गावंड़ी पटवार हल्का गावंड़ी तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक [illegible] करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों [illegible] जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन / [illegible] कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक **18.12.2024** को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:26:11 IST
Reason: SelfAttested

18/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 27/2/25
को पेश हों।

27/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक सब ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 4/6/25 को पेश हो।

4/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 26/8/25
को पेश हो।

26/8/25

पत्रवली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O
सा. दौरे पर [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनाक 3/11/25 को पेश हो।

8/9/25

पक्षों द्वारा पत्रावली विड्रा किये जाने हेतु मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गयी। वकील वादी ने प्रा० पत्र विड्रा पेश करके पर निवेदन किया कि दोनो पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने पर अब कोई विवाद शेष नहीं रहा। इस कारण वादीगण प्रार्थी[illegible] को आगे नहीं चलाना चाहते [illegible] विड्रा करने की [illegible] का प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] में स्वीकार किया जाकर कार्यवाही प्रकरण इसी स्टेज पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम होकर रिकॉर्ड दाखिल हो।

अ०वि० मीना

अ०वि० रुक्मीना

अ०वि० फरीदा

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:26:11 IST
Reason: SelfAttested